बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09 / आ0–07–37 / 2004 / स्वा0 / पटना,दिनांक / डा0 रतिरमण झा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल मधुबनी सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, जिला प्रतिरक्षण दल समस्तीपुर के विरूद्ध आवेदिका मीना देवी पत्नी स्व0 इन्द्र भूषण झा जिला समस्तीपुर द्वारा आरोप लगाया है कि लापरवाही एवं अमानवीय ब्यवहार के कारण श्री इन्द्र भूषण झा (42 वर्ष) की मृत्यु होने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0 984(9) दिनांक 04.10.07 एवं संशोधित संकल्प सं0 385(9) दिनंक 06.4.16, 995(9) दिनांक 15.9.2017 एवं 1282(9) दिनांक 19.12.17 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा अनुबंध में गठित आरोप को प्रमाणित नहीं मानते हुए अधिगम समर्पित किया गया। इस अवधि में डा0 रतिरमण झा को विभागीय अधिसूचना सं0 208(9) दिनांक 04.03.2011 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

3. आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पत्र की जॉच की पुष्टि हेतु अधिगम विभागीय पत्रांक 218(9) दिनांक 24.04.2009 के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लखनऊ भेजा, पर उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सचिव द्वारा यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का कोई भी कार्यालय इलाहाबाद में नहीं है।

4. समीक्षोपरान्त यह प्रकाश में आया कि आरोपित तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, समस्तीपुर के विरूद्ध जाली परिवाद पत्र के आधार पर उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई; जबकि झा के विरूद्ध कार्रवाई के पूर्व आरोप की पुष्टि करानी चाहिए थी। विभागीय कार्यवाही में आरोप अप्रमाणित मानते हुए प्रतिवेदित किया गया। इस प्रकरण में डा0 झा दिनांक 03.10.2007 से 04.03.2011 तक निलंबित भी थे।

5. आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी का आवेदन दिनांक 25.1.2012 द्वारा दावा किया गया कि निलंबन अवधि मे उनके द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई थी

परन्तु तत्कालीन अपर सचिव ने अपनी समीक्षा में इसे साक्ष्य आधारित नहीं मानते हुए आरोपित पदाधिकारी के इस दावा को अस्वीकार करने को प्रस्ताव दिया कि डा0 झा द्वारा निलंबन अवधि में उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है, जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

6. उपरोक्त अंकित तथ्यों के आधार पर निलंबन अवधि 03.10.2007 से 04.03.2011 तक की अवधि को मात्र असाधारण अवकाश (पेंशन प्रदायी) के रूप मे मानते हुए परिवादी के तथाकथित आरोप के जाली होने एवं विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप के प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी को आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही निष्पादित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव,

ज्ञापांकः 1305(9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 10/12/2018

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले एवं ह0) बिहार पटना / उप सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें दरभंगा प्रमंडल दरभंगा/सिविल सर्जन समस्तीपुर/मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 रतिरमण झा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल मधुबनी सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, जिला प्रतिरक्षण दल समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10.12.18
सरकार के उप सचिव